



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233515
CG-DL-E-16022022-233515

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 687]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

का.आ. 706(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 (नई सं. 330) (फैजाबाद-प्रयागराज मार्ग) के डिजाइन चैनेज 141.500 कि.मी. से 151.400 कि.मी. तक में वर्तमान गंगा सेतु (चंद्रशेखर आजाद सेतु) के समानान्तर नया छः लेन सेतु एवं पहुच मार्ग तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/छः लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी, (नजूल) प्रयागराज को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 96 (नई सं० 330) (फैजाबाद- प्रयागराज मार्ग) के डिजाइन चैनेज 141.500 कि.मी. से 151.400 कि.मी. तक में वर्तमान गंगा सेतु (चंद्रशेखर आजाद सेतु) के समानान्तर नया छ; लेन सेतु एवं पहुच मार्ग तक के लिये भूखण्ड के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: इलाहाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सोरांव					
गांव का नाम: मलाक हरहर उपरहार					
1	1317	निजी	कृषि	0.0677000 (हेक्टेयर)	0.0677000
कुल				0.0677	0.0677

[फा.सं. RW/NH-12014/UP92 LA/17-S&R (B)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2022

S.O. 706(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning/six-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 96 (New No. 330) (Faizabad-Prayagraj Road) in the stretch of land in design chainage from Km. 141.500 to Km. 151.400 for Construction of New Six Lane bridge & approach road parallel to existing Ganga Bridge (Chandra Shekhar Ajaad Bridge) in District Prayagraj in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (Nazul), Prayagraj in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of the stretch of land in design chainage from Km. 141.500 to Km. 151.400 for Construction of New Six Lane Bridge & approaches road parallel to present Ganga Bridge (Chandra Shekhar Ajud Bridge) of the National Highway No. 96 (New No. 330) (Faizabad-Prayagraj Road) in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH		District: ALLAHABAD			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Soraon					
Village: Malak Harhar Uparhar					
1	1317	Private	Agriculture	0.0677000(Hectare)	0.0677000
Total				0.0677	0.0677

[F. No. RW/NH-12014/UP92 LA/17-S&R (B)/3A]

RAJESH GUPTA, Director